



2025 : CGHC : 7466-DB

1

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
दाण्डिक अपील संख्या 1579/2021

- 1 - मो. इसरार अहमद उर्फ राजा पिता मो. ताजुद्दीन उम्र लगभग 20 वर्ष निवासी वार्ड क्रमांक 10, रामानुजगंज, रामानुजगंज छत्तीसगढ़।

----- अपीलकर्ता

बनाम

- 1 - छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा थाना प्रभारी थाना रामानुजगंज (शंकरगढ़ गलत लिखा गया है), जिला- बलरामपुर रामानुजगंज छत्तीसगढ़

----- उत्तरवादी

दाण्डिक अपील संख्या 1650/2021

- 1 - मो. साहिल बारी पिता मो. वसीम बारी उम्र लगभग 18 वर्ष निवासी ग्राम वार्ड नं. 13 रामानुजगंज, जिला बलरामपुर रामानुजगंज छत्तीसगढ़।

-----अपीलार्थी

बनाम

- 1- छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा थाना प्रभारी थाना रामानुजगंज (शंकरगढ़ गलत लिखा गया है), जिला- बलरामपुर रामानुजगंज छत्तीसगढ़

----- उत्तरवादियों

दाण्डिक अपील संख्या 1634/2021

- 1- मो. शमशेर खान पिता मो. रफीक खान उम्र लगभग 19 वर्ष निवासी वार्ड नं. 10, रामानुजगंज, पुलिस स्टेशन रामानुजगंज, जिला बलरामपुर रामानुजगंज छत्तीसगढ़

-----अपीलकर्ता

बनाम

- 1 - छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा थाना प्रभारी थाना रामानुजगंज, जिला- बलरामपुर रामानुजगंज छत्तीसगढ़

----- उत्तरवादी

अपीलकर्ताओं के लिए:	श्री आशुतोष त्रिवेदी, अधिवक्ता (दाण्डिक अपील संख्या 1579/2021 में) श्री चंद्रेश श्रीवास्तव, अधिवक्ता के साथ श्री आदित्य भारद्वाज, अधिवक्ता (दाण्डिक अपील संख्या 1650/2021 में) श्री चंद्रेश श्रीवास्तव, अधिवक्ता (दाण्डिक अपील संख्या 1634/2021 में)
उत्तरवादियों के लिए:	श्री संघर्ष पांडे, सरकार अधिवक्ता

माननीय श्री रमेश सिन्हा, मुख्य न्यायाधिपति
माननीय श्री रवींद्र कुमार अग्रवाल, न्यायाधीश
बोर्ड पर आदेश

श्री रवींद्र कुमार अग्रवाल, न्यायाधीश
12.02.2025

1. ये तीनों आपराधिक अपील एक ही अपराध संख्या और एक ही सत्र परीक्षण और सामान्य निर्णय से उत्पन्न हुई हैं, इसलिए, उन्हें एक साथ सुना और निराकरण किया जा रहा है।

2. वर्तमान आपराधिक अपीलें धारा 374 (2) के अधीन अपीलकर्ताओं द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अधीन विद्वान प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, रामानुजगंज, जिला- बलरामपुर द्वारा सत्र वाद संख्या आर-



2025 : CGHC : 7466-DB

117/2018 में पारित दोषसिद्धि और दंड के दिनांक ² 12/11/2021 के आक्षेपित निर्णय के विरुद्ध प्रस्तुत की गई हैं, जिसके अधीन अपीलकर्ताओं को दोषी ठहराया गया है और निम्नानुसार दंड सुनाई गई है:—

क्र.सं.	दोषसिद्धि	दंड
1	धारा 120-बी के अधीन	3 साल का सश्रम कारावास और 500/- रुपये का अर्थदंड, व्यतिक्रम की दशा में 15 दिन का सश्रम कारावास
2	धारा 363-बी के अधीन	3 साल का सश्रम कारावास और 500/- रुपये का अर्थदंड, व्यतिक्रम की दशा में 15 दिन का सश्रम कारावास
3	धारा 302-बी के अधीन	आजीवन सश्रम कारावास और 500/- रुपये का अर्थदंड, व्यतिक्रम की दशा में 30 दिन का सश्रम कारावास
4	धारा 201-बी के अधीन	5 साल का सश्रम कारावास और 500/- रुपये का अर्थदंड, व्यतिक्रम की दशा में 15 दिन का सश्रम कारावास

3. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 04/09/2018 को मृतक के पिता (अ.सा./1) अलीमुद्दीन सिद्दीकी ने गुमशुदगी की रिपोर्ट (प्रदर्श पी/24) दर्ज कराई थी कि उसका नाबालिग पुत्र ईशान उम्र लगभग 14 वर्ष सुबह स्कूल गया था, वापस नहीं लौटा है। जब उसने उसकी तलाश की तो उसके मित्र उपेन्द्र यादव ने बताया कि उसका पुत्र किसी व्यक्ति के साथ मोटर साइकिल से बस स्टैंड रामानुजगंज की ओर गया था। गुमशुदगी की रिपोर्ट रोजनामचा में (प्रदर्श पी/24) दर्ज की गई तथा अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 363 भा. दं. सं. के अन्तर्गत प्राथमिकी (प्रदर्श पी/1) दर्ज की गई। जांच के दौरान संदेह के आधार पर अभियुक्तगणों को हिरासत में लिया गया तथा अभियुक्त मो. इसरार अहमद उर्फ राजा का मेमोरेंडम बयान प्रदर्श पी/11 के रूप में दर्ज किया गया। अभियुक्त साहिल बारी का ज्ञापन प्रदर्श पी/12 के रूप में दर्ज किया गया है और अभियुक्त मोहम्मद सहमशेर का मेमोरेंडम कथन प्रदर्श पी/13 के रूप में 07/09/2018 को दर्ज किया गया है। अभियुक्तों ने अपराध करने के बारे में खुलासा किया है और अभियुक्त मोहम्मद इसरार अहमद उर्फ राजा के मेमोरेंडम कथन के आधार पर, मोबाइल फोन और उसकी कक्षा-4 की मार्कशीट को जब्ती ज्ञापन (प्रदर्श पी/11 ए) के जरिए जब्त कर लिया गया है। अपीलकर्ता साहिल बारी के मेमोरेंडम कथन से, उसकी मोटर साइकिल, मोबाइल फोन और कक्षा-7 की मार्कशीट को जब्ती ज्ञापन (प्रदर्श पी/12 ए) के जरिए जब्त कर लिया गया है। मोहम्मद शमशेर के मेमोरेंडम कथन के आधार पर एक चोरी का सामान, एक मोबाइल फोन और क्लास-2 की मार्कशीट जब्ती मेमो (प्रदर्श पी/13 ए) के माध्यम से जब्त की गई है। मोहम्मद इसरार अहमद के मेमोरेंडम कथन के आधार पर मृतक इशान का शव अकेलवा मरहुल केनाल, कनकपुर जंगल से बरामद किया गया है और बरामदगी पंचनामा (प्रदर्श पी/7) तैयार किया गया है। मृतक के शव की पहचान मोहम्मद मुजीब (अ.सा./10) द्वारा मृतक के कपड़ों और शरीर के अंगों से की गई और पहचान पंचनामा (प्रदर्श पी/6) तैयार किया गया। मृतक के शव का शव परीक्षण (प्रदर्श पी/10) पुलिस द्वारा तैयार किया गया तथा गवाहों की उपस्थिति में शव को शव परीक्षण हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, रामानुजगंज भेजा गया, जहां डॉ. सरद चन्द्र गुप्ता (प्रदर्श पी/14) ने मृतक के शव का शव परीक्षण किया तथा पाया कि गर्दन के आसपास लिंगेचर मार्क मौजूद है तथा गांठ नहीं है। शव परीक्षण करने के पश्चात डॉक्टर ने बताया कि न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला रिपोर्ट के पश्चात अंतिम राय दी जाएगी तथा उनकी शव



2025 : CGHC : 7466-DB

3

परीक्षण रिपोर्ट (प्रदर्श पी/20) है। शव परीक्षण करने वाले डॉक्टर से पूछा गया कि किस बिन्दु पर न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला से रिपोर्ट प्राप्त की जानी है, जिस पर डॉक्टर ने बताया कि लिंगेचर के मटेरियल से फाइबर के मिलान हेतु गर्दन की शेपिंग स्लाइड सुरक्षित रखी गई है तथा आगे बताया कि फाइबर का मौजूद होना आवश्यक नहीं है। इसकी पुष्टि न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला से कराई जानी चाहिए तथा उनकी पूछताछ रिपोर्ट (प्रदर्श पी/22) है। मृत्यु की प्रकृति के बारे में डॉक्टर से एक और प्रश्न किया गया और डॉक्टर ने प्रश्न रिपोर्ट (प्रदर्श पी/21) में अपनी राय दी है कि मृत्यु का कारण गला घोटने के कारण दम घुटना है और प्रकृति हत्या की है। डॉक्टर से एक और प्रश्न भी किया गया कि क्या जब्त किए गए सामान से मृतक का गला घोंटा जा सकता है या नहीं। डॉक्टर द्वारा प्रश्न रिपोर्ट (प्रदर्श पी/23) दी गई कि यदि पर्याप्त बल और आयाम के साथ प्रयोग किया जाए तो यह मृत्यु का कारण बन सकता है। स्पॉट मैप (प्रदर्श पी/2) और (प्रदर्श पी/9) पुलिस द्वारा तैयार किया गया था और (प्रदर्श पी/3) पटवारी द्वारा तैयार किया गया था। मृतक की कक्षा-7 की अंकसूची जब्ती ज्ञापन (प्रदर्श पी/5) द्वारा जब्त की गई है। स्कूल बैग और नोटबुक आदि के संबंध में तलाशी पंचनामा भी तैयार किया गया और तलाशी पंचनामा (प्रदर्श पी/14) तैयार किया गया। 07/09/2018 को मो. मुजीब (अ.सा./10) के कहने पर वर्तमान अपीलकर्ताओं के विरुद्ध देहाती मार्ग सूचना (प्रदर्श पी/19) दर्ज की गई। मृतक की आयु के संबंध में स्कूल रजिस्टर (प्रदर्श पी/19) को बाल शिक्षा अकादमी, रामानुजगंज से जब्त किया गया तथा इसकी सत्यापित सत्य प्रतिलिपि (प्रदर्श पी/19 सी) रखने के पश्चात मूल स्कूल रजिस्टर को स्कूल को वापस किया गया। 4. मृतक की स्किन स्लाइड और अपीलकर्ता शमशेर खान से जब्त स्टोल को फोरेंसिक जांच के लिए राज्य न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला, रायपुर भेजा गया, जहां से रिपोर्ट (प्रदर्श पी/30) प्राप्त हुई तथा यह अभिमत है कि मृतक की स्किन स्लाइड (अनुच्छेद ए/1 से ए/4) में तथा स्टोल के रेशे में मौजूद बाल (अनुच्छेद-बी) परिष्कृत प्रकृति के हैं। मार्ग सूचना (प्रदर्श पी/36) भी दर्ज की गई। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन गवाहों के बयान दर्ज किए गए हैं और सामान्य जांच पूरी होने के बाद, अपीलकर्ताओं के विरुद्ध भा. दं. सं. की धारा 363, 364 ए, 302 और 120-बी के अधीन अपराध के लिए विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रामानुजगंज के समक्ष आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया था। मामला विद्वान सत्र न्यायाधीश, बलरामपुर की अदालत को सौंपा गया था और इसे विद्वान विचारण न्यायालय में सुनवाई के लिए स्थानांतरित कर दिया गया था।

5. विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ताओं के विरुद्ध भा. दं. सं. की धारा 120-बी, 363, 364-ए/34, 302/34 और 201 के अधीन आरोप तय किए हैं। अपीलकर्ताओं ने अपने निर्दोष होने का अभिवाक किया है और विचारण चाहा है।

6. अपीलकर्ताओं के विरुद्ध आरोप साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष ने 20 गवाहों की जांच की है। अपीलकर्ताओं के दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन बयान भी दर्ज किए गए हैं, जिसमें उन्होंने अपने विरुद्ध दिखाई देने वाली परिस्थितियों से इनकार किया है, निर्दोष होने का तर्क दिया है और कहा है कि उन्हें अपराध में झूठा फंसाया गया है। उन्होंने यह भी कहा है कि पुलिस ने उन्हें 04/09/2018 से हिरासत में लिया था और 07/09/2018 को उन्हें झूठे मामले में फंसाया गया है।



2025 : CGHC : 7466-DB

4

7. अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों के मूल्यांकन के पश्चात विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ताओं को दोषी ठहराया है तथा उन्हें इस निर्णय के प्रारंभिक पैराग्राफ में उल्लिखित अनुसार दण्डित किया है। अतः यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

8. अपीलकर्ता साहिल बारी (दाण्डिक अपील संख्या 1650/2021 में) तथा अपीलकर्ता मोहम्मद शमशेर खान (दाण्डिक अपील संख्या 1634/2021 में) के विद्वान अधिवक्ता श्री चंद्रेश श्रीवास्तव ने प्रस्तुत किया है कि अभियोजन पक्ष अपने मामले को उचित संदेह से परे साबित करने में पूरी तरह विफल रहा है। अभियोजन पक्ष के गवाहों के साक्ष्य में महत्वपूर्ण चूक एवं विरोधाभास हैं, जिन्हें अपीलकर्ताओं को विचाराधीन अपराध में दोषी ठहराने का आधार नहीं बनाया जा सकता। गवाहों के बयान शव बरामद होने के 3-4 दिन पश्चात दर्ज किए गए हैं। मृतक की मृत्यु के समय के निकट एवं गवाहों द्वारा देखे गए अंतिम साक्ष्य नहीं हैं। मृतक का शव अपीलकर्ताओं के ज्ञापन कथन पर नहीं बल्कि खुले स्थान से बरामद किया गया था तथा ग्रामीणों द्वारा शव के बारे में पुलिस को सूचित किया गया है। मामले में अभियोजन पक्ष द्वारा कोई पहचान परेड नहीं कराई गई है। अंतिम बार देखा गया शव घटना के 3-4 दिन बाद गवाहों (अ.सा./4) इबरान और (अ.सा./9) मुमताज अंसारी तथा (अ.सा./18) अबू बकर द्वारा प्रकट किया गया था, वह भी शव बरामद होने के बाद। अभियोजन पक्ष का मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है तथा परिस्थितियों की श्रृंखला गायब है, इसलिए अपीलकर्ताओं को ऐसे साक्ष्य में दोषी नहीं ठहराया जा सकता है जो एक दूसरे से जुड़े नहीं हैं। अभियोजन पक्ष को अपीलकर्ताओं के विरुद्ध मामले को उचित संदेह से परे साबित करना आवश्यक है, जिसमें वे इसे साबित करने में विफल रहे हैं, इसलिए अपीलकर्ता बरी होने के हकदार हैं।

9. अपीलकर्ता मोहम्मद इसरार अहमद उर्फ राजा (दाण्डिक अपील संख्या 1579/2021 में) की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री आशुतोष त्रिवेदी ने प्रस्तुत किया कि अभियोजन पक्ष के गवाहों के साक्ष्य में कुछ चूक और विरोधाभास हैं और वे एक दूसरे से मेल नहीं खाते। अभिलेख पर कोई सबूत नहीं है कि आरोपी व्यक्तियों ने मृतक की हत्या करने की साजिश रची है। शव की बरामदगी और आरोपी व्यक्तियों की पहचान के सबूत विश्वसनीय नहीं हैं और उनके सबूत कमजोर हैं। वर्तमान अपीलकर्ता से कोई भी आपत्तिजनक सामग्री बरामद नहीं हुई है और इसलिए, वह भी बरी किए जाने का हकदार है।

10. दूसरी ओर, विद्वान सरकारी अधिवक्ता ने संबंधित अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्कों का पुरजोर विरोध किया और कहा कि मामूली चूक या विरोधाभासों को छोड़कर अभियोजन पक्ष के गवाहों के साक्ष्य पूरी तरह से विश्वसनीय हैं और अपीलकर्ताओं को संबंधित अपराध में दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त हैं। अभियोजन पक्ष का मामला अंतिम बार देखे जाने के सिद्धांत और शव की बरामदगी के साथ-साथ उस लिगचर पर आधारित है जिसके द्वारा उन्होंने मृतक की हत्या की है। परिस्थितियों की श्रृंखला पूरी हो चुकी है और अभियोजन पक्ष द्वारा ठोस और निर्णायक साक्ष्य द्वारा विधिवत साबित किया गया है। अपीलकर्ता यह स्पष्ट करने में विफल रहे हैं कि वे किस समय मृतक की संगति से अलग हुए थे और उनके कहने पर, जंगल से शव बरामद किया गया था। यद्यपि यह एक खुला स्थान था, लेकिन जंगल में जिस स्थान से शव मिला था, वह किसी को



2025 : CGHC : 7466-DB

5

दिखाई नहीं देता है और शव केवल अपीलकर्ताओं द्वारा बताए जाने पर बरामद किया गया था। उन्होंने यह भी कहा कि षडयंत्र हमेशा गुप्त रूप से रचा जाता है और कोई प्रदर्श साक्ष्य नहीं हो सकता है, लेकिन अपीलकर्ता का आचरण ही मृतक की हत्या करने की उनकी साजिश को दर्शाता है और इसके अलावा, उन्होंने ऐसा किया भी है। इसलिए, अपीलकर्ताओं के विरुद्ध अभिलेख पर भारी सबूत उपलब्ध हैं और उनकी अपील निरस्त किए जाने योग्य हैं।

11. हमने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है और मामले में उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन किया है।

12. विचार के लिए प्रारंभिक प्रश्न मृतक की मृत्यु की प्रकृति होगी क्योंकि उसका शव उसके लापता होने के लगभग चार दिन बाद जंगल में मिला था।

13. मृतक के शव का शव परीक्षण करने वाले चिकित्सक (अ.सा./14) डॉ. सरद चंद्र गुप्ता ने अपने साक्ष्य में कहा है कि 07/09/2018 को मृतक ईशान जिसकी उम्र लगभग 14 वर्ष थी, का शव शव परीक्षण के लिए उनके सामने लाया गया था और उसकी पहचान मोहम्मद आवेज और जावेद ने की थी। शव परीक्षण के दौरान उन्होंने पाया कि अंगों में सड़न और कीड़ों से भरा हुआ घाव था, शरीर से दुर्गंध आ रही थी, चेहरा उभरा हुआ था, आंख की पुतली बाहर निकली हुई थी, सिर, गर्दन पर घाव था, सड़न के कारण पूरे शरीर की त्वचा उखड़ी हुई थी और सिर के बाल झड़ रहे थे, गर्दन के आसपास दबाव घर्षण (लिगचर मार्क) था और गांठ नहीं थी। शव परीक्षण के बाद डॉक्टर ने कहा कि न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला रिपोर्ट के बाद अंतिम राय दी जाएगी। पूछताछ रिपोर्ट (प्रदर्श पी/21) में डॉक्टर ने कहा कि मौत का कारण गला घोटने से दम घुटना है और मौत की प्रकृति हत्या है। प्रतिपरीक्षण में उन्होंने बताया कि गला घोटने के दौरान गर्दन की हड्डी टूटी हो सकती है या नहीं, यह गला घोटने के दौरान लगाए गए दबाव पर निर्भर करता है। वर्तमान मामले में मृतक के शव पर कोई फ्रैक्चर नहीं पाया गया है। उन्होंने पाया कि मृतक की मृत्यु शव के शव परीक्षण की तिथि से तीन दिन पहले हुई है। उन्होंने मृतक के गले पर पाए गए लिगचर मार्क के दृष्टिकोण में फांसी लगाने से मृत्यु की संभावना से इनकार किया। उन्होंने अपनी प्रतिपरीक्षण में यह भी कहा कि यदि किसी व्यक्ति का हाथ से गला घोंटा जाता तो वर्तमान मामले में मृतक के शरीर पर जो चोटें पाई गई हैं, वे शरीर पर नहीं पाई जातीं और यदि गला कपड़े से घोंटा जाता तो लिगचर गर्दन के चारों तरफ होना चाहिए था, लेकिन उन्हें गर्दन के चारों तरफ लिगचर मार्क नहीं मिला है। उन्होंने आगे कहा कि गलती से वे शव परीक्षण रिपोर्ट में यह उल्लेख नहीं कर पाए कि मृत्यु का समय शव परीक्षण करने से तीन दिन पहले का है। उन्होंने क्वेरी रिपोर्ट (प्रदर्श पी/22 ए) और (प्रदर्श पी/23 ए) को भी साबित किया।

14. जांच के गवाह (अ.सा./10) रघु रे (अ.सा./5), मोहम्मद शमीम (अ.सा./06), तनवीर (अ.सा./7), उदय राम (अ.सा./8) और मोहम्मद आवेज (अ.सा./12) ने अपने साक्ष्य में कहा है कि मृतक का शव कनकपुर जंगल में मिला था, वह एक बच्चे का शव था। उन्होंने जांच (प्रदर्श पी/10) को साबित कर दिया है। विद्वान विचारण न्यायालय ने गुमशुदगी रिपोर्ट (प्रदर्श पी/1) और (प्रदर्श पी/24), जंगल से शव की बरामदगी, जांच के गवाहों के साक्ष्य और मृतक (प्रदर्श पी/20) की शव परीक्षण रिपोर्ट, जिसे अ.सा./14 डॉ. सरद चंद्र



2025 : CGHC : 7466-DB

6

गुप्ता द्वारा सिद्ध किया गया है, पर विचार करने के बाद निष्कर्ष निकाला कि मौत का कारण गला घोटने के कारण दम घुटना था और मौत की प्रकृति हत्या है, जो साक्ष्य के उचित मूल्यांकन पर आधारित है, न तो विकृत और न ही अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के विपरीत।

15. जहां तक, विचाराधीन अपराध में अपीलकर्ताओं की संलिप्तता का संबंध है, अभियोजन पक्ष का मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य यानी अंतिम बार देखे जाने के सिद्धांत और अभियुक्तों के कहने पर मृत शरीर की बरामदगी पर आधारित है। परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तों के विरुद्ध मामला साबित करने की आवश्यकता को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न निर्णयों में तय किया गया है। रवींद्र सिंह बनाम पंजाब राज्य, 2022 (7) के मामले में एससीसी 581 ने पैरा 10 में निम्नानुसार माना है:

10. ए 2 की दंड केवल परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है। इसलिए, किसी दंड को बनाए रखने के लिए, यह जरूरी है कि परिस्थितियों की श्रृंखला पूर्ण, ठोस और सुसंगत हो। इस अदालत ने लगातार कई मामलों में माना है [देखें हुकम सिंह बनाम राजस्थान राज्य एआईआर (1977 एससी 1063); एराडू और अन्य बनाम हैदराबाद राज्य (एआईआर 1956 एससी 316); अरबद्रप्पा कृष्णप्पा बनाम कर्नाटक राज्य (एआईआर 1983 एससी 446); उत्तर प्रदेश राज्य बनाम सुखबासी और अन्य (एआईआर 1985 एससी 1224); बलविंदर सिंह @ दलबीर सिंह बनाम पंजाब राज्य (एआईआर 1987 एससी 350); अशोक कुमार चटर्जी बनाम मध्य प्रदेश राज्य (एआईआर 1989 एससी 1890)] कि जहां मामला पूरी तरह परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है, वहां दोष का अनुमान तभी उचित ठहराया जा सकता है जब सभी दोषपूर्ण तथ्य और परिस्थितियां आरोपी की निर्दोषता के साथ असंगत पाई जाती हैं। जिन परिस्थितियों से आरोपी के अपराध के बारे में अनुमान लगाया जाता है, उन्हें उचित संदेह से परे साबित किया जाना चाहिए और यह दिखाया जाना चाहिए कि वे उन परिस्थितियों से निकाले जाने वाले मुख्य तथ्य से निकटता से जुड़े हुए हैं।

10.1. भगत राम बनाम पंजाब राज्य (एआईआर 1954 एससी 621) में यह निर्धारित किया गया था कि जहां मामला परिस्थितियों से निकाले गए निष्कर्ष पर निर्भर करता है, परिस्थितियों का संचयी प्रभाव ऐसा होना चाहिए कि आरोपी की निर्दोषता को नकार दिया जाए और अपराध को किसी भी उचित संदेह से परे ले जाया जाए।

10.2. हम सी. चेंगा रेड्डी और अन्य में इस न्यायालय के एक निर्णय का भी संदर्भ दे सकते हैं। बनाम राज्य ए.पी. (1996) 10 एससीसी 193, जिसमें यह देखा गया है कि:

"21. परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित मामले में, स्थापित कानून यह है कि जिन परिस्थितियों से दोष का निष्कर्ष निकाला जाता है, उन्हें पूरी तरह से साबित किया जाना चाहिए और ऐसी परिस्थितियाँ प्रकृति में निर्णायक होनी चाहिए। इसके अलावा, सभी परिस्थितियाँ पूरी होनी चाहिए



2025 : CGHC : 7466-DB

7

और साक्ष्य की श्रृंखला में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। इसके अलावा साबित परिस्थितियाँ केवल अभियुक्त के अपराध की परिकल्पना के अनुरूप होनी चाहिए और उसकी निर्दोषता के साथ पूरी तरह से असंगत होनी चाहिए...."।

16. पैरा सुरेन्द्र कुमार और अन्य बनाम राज्य उत्तर प्रदेश, 2021 (20) एससीसी 430 के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने धारा 11 और 12 में निम्नानुसार माना है:-

"11. चूंकि अपीलकर्ताओं के विरुद्ध मामला पूरी तरह से परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है, इसलिए यह निर्धारित करना आवश्यक है कि क्या उपलब्ध साक्ष्य केवल दोष के निष्कर्ष पर ले जाते हैं और सभी विपरीत परिकल्पनाओं को बाहर करते हैं। परिस्थितिजन्य साक्ष्य के कानून पर घोषणा समय की कसौटी पर खरी उतरी है क्योंकि हनुमंत बनाम मध्य प्रदेश राज्य 1 में महाजन जे. ने निम्नलिखित लिखा है:-

"10.....यह याद रखना अच्छा है कि ऐसे मामलों में जहां साक्ष्य परिस्थितिजन्य प्रकृति का है, जिन परिस्थितियों से दोष का निष्कर्ष निकाला जाना है, उन्हें पहले पूरी तरह से स्थापित किया जाना चाहिए और इस प्रकार स्थापित सभी तथ्य केवल अभियुक्त के दोष की परिकल्पना के अनुरूप होने चाहिए। फिर से, परिस्थितियाँ निर्णायक प्रकृति और प्रवृत्ति की होनी चाहिए और वे ऐसी होनी चाहिए कि साबित होने वाली एक को छोड़कर हर परिकल्पना को बाहर कर दें। दूसरे शब्दों में, साक्ष्यों की एक श्रृंखला इतनी पूरी होनी चाहिए कि अभियुक्त की निर्दोषता के अनुरूप निष्कर्ष के लिए कोई उचित आधार न बचे और यह ऐसा होना चाहिए कि यह दर्शाया जा सके कि सभी मानवीय संभावनाओं के भीतर यह कृत्य अभियुक्त द्वारा किया गया होगा।

12. आपराधिक मामलों में आवश्यक प्रकृति, चरित्र और आवश्यक सबूतों पर फ़ज़ल अली जे ने शरद बिरधीचंद सारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य में विस्तार से चर्चा की थी और परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित कानून के प्रस्ताव को कई बाद के निर्णयों में अनुमोदित किया गया था और हाल ही में कृष्ण मुरारी जे ने शैलेंद्र [एआईआर 1952 एससी 343] [(1984) 4 एससीसी 116] राजदेव पासवान और अन्य बनाम गुजरात राज्य और अन्य में तीन न्यायाधीशों की पीठ के लिए राय लिखते हुए इसे दोहराया था और संक्षेप में निम्न प्रकार से कहा गया है:-

"17. अब तक यह बात पूरी तरह से स्थापित हो चुकी है कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित मामले में न्यायालयों को ईमानदारी से काम करना चाहिए और दोषसिद्धि तभी दर्ज की जानी चाहिए जब श्रृंखला की सभी कड़ियाँ पूरी हों और अभियुक्त के अपराध की ओर इशारा करती हों। जब तक कि एक साथ जुड़कर श्रृंखला न बनाई जाए, तब तक प्रत्येक कड़ी संदेह पैदा कर सकती है, लेकिन यह अपने आप में सबूत की जगह नहीं ले सकती और अभियुक्त को दोषी



ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं होगी।"

17. दिगंबर वैष्णव और अन्य बनाम छत्तीसगढ़ राज्य [2019 (4) एससीसी 522] के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना है:-

"14. आपराधिक न्यायशास्त्र के मूलभूत सिद्धांतों में से एक यह निर्विवाद है कि सबूत का बोझ पूरी तरह से अभियोजन पक्ष पर है और सामान्य बोझ कभी नहीं बदलता है। अनुमान और अनुमान या संदेह के आधार पर कोई दोषसिद्धि नहीं हो सकती है, चाहे वह कितना भी गंभीर क्यों न हो। मजबूत संदेह, मजबूत संयोग और गंभीर संदेह कानूनी सबूत की जगह नहीं ले सकते। अभियोजन पक्ष का दायित्व बहुत मजबूत संदेह और अभियुक्त को दोषी ठहराने के लिए अत्यधिक संदिग्ध कारकों के अस्तित्व का हवाला देकर नहीं छोड़ा जा सकता है और न ही बचाव का झूठ सबूत की जगह ले सकता है जिसे अभियोजन पक्ष को सफल होने के लिए स्थापित करना है, हालांकि बचाव पक्ष द्वारा झूठी दलील को एक अतिरिक्त परिस्थिति के रूप में माना जा सकता है, अगर अन्य परिस्थितियाँ निश्चित रूप से दोष की ओर इशारा करती हैं।

15. इस न्यायालय ने जाहरलाल दास बनाम उड़ीसा राज्य, (1991) 3 एससीसी 27, ने माना है कि भले ही अपराध चौंकाने वाला हो, लेकिन कानूनी सबूत के मामले में अपराध की गंभीरता अपने आप में भारी नहीं हो सकती। परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर अत्यधिक निर्भर मामलों में, हमेशा यह खतरा रहता है कि अनुमान या संदेह कानूनी सबूत की जगह ले सकता है। अदालत को सतर्क रहना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अनुमान और संदेह कानूनी सबूत की जगह न लें। अदालत को खुद को संतुष्ट करना चाहिए कि साक्ष्य की श्रृंखला में विभिन्न परिस्थितियों को स्पष्ट रूप से स्थापित किया जाना चाहिए और पूरी श्रृंखला ऐसी होनी चाहिए जिससे अभियुक्त की निर्दोषता की उचित संभावना को निरस्त किया जा सके।

16. परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि को बनाए रखने के लिए, निम्नलिखित तीन शर्तें पूरी होनी चाहिए:

- i.) जिन परिस्थितियों से दोष का अनुमान लगाया जा रहा है, वे स्पष्ट रूप से और दृढ़ता से स्थापित होनी चाहिए;
- ii.) वे परिस्थितियाँ निश्चित रूप से अभियुक्त के अपराध की ओर इंगित करने वाली होनी चाहिए; और
- iii.) परिस्थितियों को संचयी रूप से लिया जाए तो ऐसी पूरी श्रृंखला बननी चाहिए कि इस निष्कर्ष से कोई बच न सके कि सभी मानवीय संभावनाओं के भीतर अपराध अभियुक्त द्वारा ही किया गया था और किसी और ने नहीं, और यह अभियुक्त के अपराध के अलावा किसी अन्य



परिकल्पना पर स्पष्टीकरण देने में भी असमर्थ होनी चाहिए।

17. वर्की जोसेफ बनाम केरल राज्य, 1993 अनुपूरक (3) एससीसी 745 में, इस न्यायालय ने माना है कि संदेह सबूत का विकल्प नहीं है। 'सच हो सकता है' और 'सच होना चाहिए' के बीच एक लंबी दूरी है और अभियोजन पक्ष को अपने मामले को उचित संदेह से परे साबित करने के लिए सभी तरह की यात्रा करनी होगी।

18. सुजीत बिस्वास बनाम असम राज्य, (2013) 12 एससीसी 406 में, इस न्यायालय ने 'उचित संदेह से परे सबूत' और 'संदेह' के बीच अंतर की जांच करते हुए निम्नलिखित माना है:

"13. संदेह, चाहे वह कितना भी गंभीर क्यों न हो, सबूत की जगह नहीं ले सकता है, और जो साबित हो सकता है और जो साबित हो जाएगा, उसके बीच बहुत बड़ा अंतर है। आपराधिक मुकदमे में, संदेह चाहे कितना भी मजबूत क्यों न हो, सबूत की जगह नहीं ले सकता और न ही उसे अनुमति दी जानी चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि "हो सकता है" और "होना चाहिए" के बीच मानसिक दूरी बहुत बड़ी है, और अस्पष्ट अनुमानों को निश्चित निष्कर्षों से अलग करती है। आपराधिक मामले में, न्यायालय का यह कर्तव्य है कि वह सुनिश्चित करे कि मात्र अनुमान या संदेह कानूनी सबूत की जगह न लें। "सच हो सकता है" और "सच होना चाहिए" के बीच की बड़ी दूरी को स्पष्ट, ठोस तरीके से कवर किया जाना चाहिए। अभियुक्त को दोषी ठहराए जाने से पहले अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किए गए और निर्विवाद साक्ष्यों को ध्यान में रखना चाहिए और बुनियादी और सुनहरा नियम लागू किया जाना चाहिए। ऐसे मामलों में, "सच हो सकता है" और "सच होना चाहिए" के बीच की दूरी को ध्यान में रखते हुए, अदालत को केवल अनुमानों और मामले की सभी विशेषताओं की पूरी और व्यापक सराहना के साथ-साथ अभिलेख पर लाए गए सबूतों की गुणवत्ता और विश्वसनीयता के आधार पर, निष्पक्ष न्यायिक जांच की कसौटी पर पहुंचने वाले निश्चित निष्कर्षों के बीच महत्वपूर्ण दूरी बनाए रखनी चाहिए। न्यायालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि न्याय में चूक न हो और यदि मामले के तथ्य और परिस्थितियाँ ऐसी माँग करती हैं, तो अभियुक्त को संदेह का लाभ अवश्य दिया जाना चाहिए, यह ध्यान में रखते हुए कि उचित संदेह कोई काल्पनिक, तुच्छ या मात्र संभावित संदेह नहीं है, बल्कि एक उचित संदेह है जो तर्क और सामान्य ज्ञान पर आधारित है।"

18. मधु बनाम केरल राज्य, 2012 (2) एससीसी 399 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने पैराग्राफ 5 में निम्न प्रकार से माना है:

"5. परिस्थितिजन्य साक्ष्य का मूल्यांकन करने में सावधानी और सतर्कता न्यायिक मिसाल द्वारा



मान्यता प्राप्त है। केवल बहुत उच्च कोटि के परिस्थितिजन्य साक्ष्य ही आपराधिक अभियोजन में सबूत की कसौटी पर खरे उतर सकते हैं। परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित मामले में अभियोजन पक्ष को घटनाओं की एक पूरी अखंडित श्रृंखला स्थापित करनी चाहिए, जिससे यह निर्धारित हो सके कि साक्ष्य से निकाला जा रहा निष्कर्ष ही एकमात्र अपरिहार्य निष्कर्ष है। परिस्थितिजन्य साक्ष्य के अभाव में, अभियुक्त को संदेह का लाभ पाने का अधिकार होगा।"

19. **नागेंद्र साह बनाम बिहार राज्य, 2021 (10) एससीसी 725** के मामले में पैराग्राफ 17 और 18 में **शरद बिरधीचंद सारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य, 1984 (4) एससीसी 116** मामले में बताए गए स्वर्णिम सिद्धांतों का जवाब देते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार माना है:

"17. चूंकि पूरा मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है, इसलिए हम इस विषय पर इस न्यायालय के एक प्रमुख निर्णय का उपयोगी संदर्भ दे सकते हैं। शरद बिरधीचंद सारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य 2 के मामले में पैराग्राफ 153 में, इस न्यायालय ने पांच स्वर्णिम सिद्धांत (पंचशील) निर्धारित किए हैं जो केवल परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर एक मामले को नियंत्रित करते हैं। पैराग्राफ 153 इस प्रकार है:-

"153. इस निर्णय का गहन विश्लेषण यह दर्शाएगा कि किसी अभियुक्त के विरुद्ध मामला पूर्णतः स्थापित होने से पूर्व निम्नलिखित शर्तें पूरी होनी चाहिए:

(1) जिन परिस्थितियों से दोष का निष्कर्ष निकाला जाना है, उन्हें पूर्णतः स्थापित किया जाना चाहिए। यहां यह ध्यान देने योग्य है कि इस न्यायालय ने संकेत दिया कि संबंधित परिस्थितियों को 'स्थापित किया जाना चाहिए या होना चाहिए' न कि 'स्थापित किया जा सकता है'। 'साबित किया जा सकता है' और 'साबित किया जाना चाहिए या होना चाहिए' के बीच न केवल व्याकरणिक बल्कि कानूनी अंतर है, जैसा कि इस न्यायालय ने शिवाजी साहबराव बोबडे एवं अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य में माना था, जहां निम्नलिखित टिप्पणियां की गई थीं:

19.....निश्चित रूप से, यह एक प्राथमिक सिद्धांत है कि अभियुक्त को दोषी होना चाहिए, न कि केवल दोषी हो सकता है, तभी न्यायालय उसे दोषी ठहरा सकता है और 'साबित किया जा सकता है' और 'साबित किया जाना चाहिए' के बीच मानसिक दूरी बहुत लंबी है और अस्पष्ट अनुमानों को निश्चित निष्कर्षों से अलग करती है।

(2) इस प्रकार स्थापित तथ्य केवल अभियुक्त के अपराध की परिकल्पना के अनुरूप होने चाहिए, अर्थात्, उन्हें अभियुक्त के दोषी होने के अलावा किसी अन्य परिकल्पना पर व्याख्यायित नहीं किया जाना चाहिए,



(3) परिस्थितियाँ निर्णायक प्रकृति और प्रवृत्ति की होनी चाहिए,

(4) उन्हें साबित की जाने वाली परिकल्पना को छोड़कर हर संभव परिकल्पना को बाहर करना चाहिए, और

(5) साक्ष्य की एक श्रृंखला इतनी पूर्ण होनी चाहिए कि अभियुक्त की निर्दोषता के अनुरूप निष्कर्ष के लिए कोई उचित आधार न बचे और यह दर्शाना चाहिए कि सभी मानवीय संभावनाओं में यह कार्य अभियुक्त द्वारा किया गया होगा।" (बल दिया गया)।

18. उक्त निर्णय के पैराग्राफ 158 से 160 भी प्रासंगिक हैं जो इस प्रकार हैं:

"158. यहां यह ध्यान रखना आवश्यक है कि अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने देवनंदन मिश्रा बनाम बिहार राज्य में इस न्यायालय के निर्णय का हवाला देते हुए बहुत ही दमदार तर्क दिया है, जिसमें उन्होंने अपने तर्क को पूरक करते हुए कहा है कि यदि बचाव पक्ष का मामला झूठा है तो यह अभियोजन पक्ष के मामले को मजबूत करने के लिए एक अतिरिक्त कड़ी का काम करेगा। विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता के प्रति सम्मान के साथ हम उनके द्वारा पूर्वोक्त मामले की दी गई व्याख्या से सहमत नहीं हैं, जिसका प्रासंगिक अंश इस प्रकार उद्धृत किया जा सकता है: 9.....लेकिन इस तरह के मामले में जहां ऊपर शुरू की गई विभिन्न कड़ियों को संतोषजनक ढंग से स्थापित किया गया है और परिस्थितियां अपीलकर्ता को संभावित हमलावर के रूप में इंगित करती हैं, उचित निश्चितता के साथ और समय और स्थिति के संबंध में मृतक के निकटता में, ... स्पष्टीकरण की अनुपस्थिति या गलत स्पष्टीकरण अपने आप में एक अतिरिक्त कड़ी होगी जो श्रृंखला को पूरा करती है।" 159. यह देखा जाएगा कि इस न्यायालय ने स्पष्टीकरण की अनुपस्थिति या गलत स्पष्टीकरण को ध्यान में रखते हुए यह माना कि यह श्रृंखला को पूरा करने के लिए एक अतिरिक्त कड़ी होगी लेकिन इन टिप्पणियों को इस न्यायालय द्वारा पहले कही गई बातों के प्रकाश में पढ़ा जाना चाहिए, अर्थात्, एक गलत स्पष्टीकरण को अतिरिक्त कड़ी के रूप में इस्तेमाल करने से पहले, निम्नलिखित आवश्यक शर्तें पूरी होनी चाहिए:

(1) अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य की श्रृंखला में विभिन्न कड़ियाँ संतोषजनक रूप से सिद्ध हो चुकी हैं,

(2) उक्त परिस्थिति उचित निश्चितता के साथ अभियुक्त के अपराध की ओर संकेत करती है, और

(3) परिस्थिति समय और स्थिति के निकट है।

160. यदि ये शर्तें पूरी होती हैं, तभी न्यायालय झूठे स्पष्टीकरण या झूठे बचाव को न्यायालय को आश्वासन देने के लिए अतिरिक्त कड़ी के रूप में उपयोग कर सकता है, अन्यथा नहीं। वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर, ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि यह ऐसा मामला



है। इस मामले के इस पहलू की जांच शंकरलाल मामले में की गई थी, जहां इस न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी की थी: 30. इसके अलावा, बचाव का झूठापन उन तथ्यों के सबूत का स्थान नहीं ले सकता है, जिन्हें अभियोजन पक्ष को सफल होने के लिए स्थापित करना होता है। झूठी दलील को अधिक से अधिक एक अतिरिक्त परिस्थिति के रूप में माना जा सकता है, यदि अन्य परिस्थितियां अभियुक्त के दोष की ओर स्पष्ट रूप से इंगित करती हैं।" (बल दिया गया)

20. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित उपरोक्त कानून के दृष्टिकोण में हमने अपीलकर्ताओं के विरुद्ध अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य की फिर से जांच की।

21. (अ.सा./4) इब्राम, (अ.सा./9) मुमताज अंसारी और (अ.सा./18) अबू बकर अपीलकर्ताओं के साथ मृतक के अंतिम बार देखे जाने के गवाह हैं।

22. अ.सा./4 इब्राम उस स्कूल का छात्र है जिसमें मृतक भी छात्र था। उसने अपने साक्ष्य में कहा कि करीब 11 महीने पहले आरोपी वसीम बारी ईशान को अपने साथ मोटर साइकिल से ले गया और वे बस स्टैंड की तरफ गए थे। उसने उन्हें करीब 10-12 फिट की दूरी से देखा था जो शाम 4 बजे का समय था। मृतक ईशान ने स्कूल ड्रेस पहनी हुई थी। दो दिन बाद उसे पता चला कि ईशान की मौत हो गई है। उसने प्रतिपरीक्षण में कहा कि ईशान और उसके स्कूल का छुट्टी का समय एक ही है। उस दिन स्कूल में भीड़ नहीं थी। उसने फोटोग्राफ (प्रदर्श डी/1) के संबंध में भी अज्ञानता दिखाई है और कहा है कि सरकारी अधिवक्ता ने उससे पूछा है कि मृतक की हत्या किसने की है। उसने आगे कहा कि जिस दिन उसने अपीलकर्ता और मृतक को एक साथ देखा था, उस दिन किसी ने उससे उनके बारे में कोई पूछताछ नहीं की। मृतक को ले जाने वाला व्यक्ति साहिल बारी का पुत्र है जो वसीम बारी का पुत्र है। साहिल वाहन चला रहा था और मृतक उसके पीछे बैठा था। वह आरोपी साहिल को जानता है क्योंकि वह भी उसी स्थान का निवासी था जहां वे पहले रहते थे। दो दिन बाद उसके पिता ने उसे सूचित किया कि मृतक लापता है। उसके पिता उसे मृतक के पिता के पास ले गए जो उसके मामा हैं। उसने आगे कहा कि वसीम बारी के बेटे को छोड़कर उसने अन्य किसी व्यक्ति की पहचान नहीं की है। उसने स्वीकार किया कि उसने मृतक को वसीम के साथ देखा था, इसलिए संदेह के आधार पर वसीम बारी ने मृतक की हत्या की है। उसने कहा कि वह वसीम को जानता है और उसे देखने के बाद उसकी पहचान की। उन्होंने आगे कहा कि वह वसीम के बेटे का नाम नहीं जानते और उन्हें वसीम बारी के बेटे के नाम की जानकारी नहीं है। उन्होंने स्वीकार किया कि 200 मीटर की दूरी से कोई भी व्यक्ति उस व्यक्ति का चेहरा नहीं पहचान सकता जो इतनी दूरी पर खड़ा था। घटना की तारीख को वह मृतक से पहले अपना स्कूल छोड़ कर चला गया था। उन्होंने आगे कहा कि घटना की तारीख और पुलिस स्टेशन में अपना बयान दर्ज करने के बीच, वह नियमित रूप से स्कूल गया था, लेकिन उसने किसी को भी घटना के बारे में नहीं बताया था। उन्होंने स्वीकार किया कि जब मुस्तफा उन्हें पुलिस स्टेशन ले गया था, तब उन्होंने पुलिस स्टेशन में बताया था कि ईशान को मोटर साइकिल में ले जाया जा रहा था और इससे पहले उन्होंने किसी को भी घटना के बारे में नहीं बताया था। बाद में उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने पिता को



2025 : CGHC : 7466-DB

13

घटना के बारे में बताया था। उन्होंने आगे स्वीकार किया कि उन्होंने उन्हें पीछे से देखा था, इसलिए, वह मोटर साइकिल का रंग और संख्या नहीं बता सकता।

23. अ.सा./9 मुमताज अंसारी जो कि अंतिम बार देखे जाने का साक्षी भी है, ने अपने साक्ष्य में बताया है कि घटना दिनांक को जब वह जनपद पंचायत कार्यालय के गेट पर जनपद पंचायत के लिपिक से बात कर रहा था, तो उसने देखा कि अभियुक्त साहिल बारी मोटर साइकिल से आ रहा था तथा अलीमुद्दीन का पुत्र बीच में बैठा था तथा उसके पीछे एक अन्य लड़का बैठा था। साहिल बारी अपनी मोटर साइकिल से आगे निकल गया तथा फारेस्ट बैरियर के पास उसने अपना वाहन रोक दिया, मोटर साइकिल में एक अन्य लड़का भी बैठा था, लेकिन उसने उसे नहीं पहचाना। उसने चारों व्यक्तियों को वाड्डफ नगर की ओर जाते देखा तथा वह स्वयं अपनी स्कार्पियो गाड़ी में उनके पीछे था। ग्राम-लोखी के पास साहिल ने अपनी मोटर साइकिल रामचन्द्रपुर रोड के पास मोड़ दी तथा वह वाड्डफ नगर रोड की ओर बढ़ गया। घटना की तारीख से 1-2 दिन बाद वह अलीमुद्दीन से मिला जिसने उसे बताया कि उसका बेटा गायब है, तब उसने बताया कि उसने अपने बेटे को साहिल बारी के साथ देखा था और वे दोनों अपनी मोटर साइकिल पर जा रहे थे। प्रतिपरीक्षण में उसने बताया कि अलीमुद्दीन का गैराज उसके घर से 20-25 मीटर की दूरी पर है और वह उसे 7-8 साल से जानता है। उसे नहीं पता कि अलीमुद्दीन के परिवार में कितने सदस्य हैं, उसने यह भी नहीं बताया कि उसने अलीमुद्दीन के बेटे को किस तारीख को देखा था। उसने खुद पुलिस को कोई सूचना नहीं दी है और उसने बताया कि उसने अलीमुद्दीन से पूछा था कि उसका बेटा गायब है और इसलिए उसे पुलिस के पास जाना है। उसने माना कि पुलिस उसे अलीमुद्दीन के घर ले गई थी और तब तक सभी को पता चल चुका था कि मृतक की हत्या की जा रही है। मृतक के लापता होने के करीब 3-4 दिन बाद उसे उसकी हत्या के बारे में पता चला।

24. उसने स्वीकार किया कि मृतक के अपहरण या हत्या के सम्बन्ध में उसने स्वयं पुलिस को कोई सूचना नहीं दी है तथा वह यह भी नहीं बता सका कि मृतक को अभियुक्तगण किस रंग व नम्बर की गाड़ी में ले जा रहे थे। मोटर साइकिल पर बैठे चारों व्यक्ति मौज-मस्ती के मूड में जा रहे थे। उसने अभियुक्त को थाने में देखा था, उसने मृतक का शव रामचन्द्रपुर रोड जंगल में भी देखा था। उसने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया कि घटना दिनांक से पूर्व अलीमुद्दीन ने उसे कभी भी फिरौती के लिए फोन आने या फिरौती की रकम मांगे जाने की सूचना नहीं दी है। अलीमुद्दीन ने यह भी नहीं बताया है कि फिरौती मांगने के लिए उसके पुत्र का अपहरण किया जा रहा है। उसने बताया कि वह बलरामपुर जिला पंचायत सदस्य का चुनाव भी लड़ रहा है। साहिल के पिता का नाम वसीम बारी है। उसे यह नहीं पता कि वसीम बारी ने अपने रिश्तेदार मंजर के विरुद्ध दैनिक समाचार पत्र में समाचार प्रकाशित कराया था। वह वसीम बारी के परिवार के बारे में नहीं जानता और न ही वह उससे संबंधित है। उसने आगे बताया कि जब वसीम बारी जेल में था, तो साहिल बारी अक्सर मदद के लिए उसके पास आता था। पुलिस ने तीन स्थानों पर विभिन्न कागजातों में उसके हस्ताक्षर लिए हैं, यानी शव बरामद होने वाली जगह, अलीमुद्दीन के घर और तीसरा पुलिस स्टेशन। उसने आगे बताया कि उसने अलीमुद्दीन को बताया है कि ईशान को मोटर साइकिल से ले जाया जा रहा था और अगर यह उसके पुलिस बयान में नहीं है, तो वह कारण नहीं बता सकता। उसे मृतक



2025 : CGHC : 7466-DB

14

की हत्या के बारे में उस तारीख को पता चला जब उसका शव मिला था। उसने खुद मृतक अलीमुद्दीन के पिता को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने की सलाह दी है।

25. अंतिम बार वाले तीसरे गवाह अ.सा./18 अबू बकर हैं, जिन्होंने अपने साक्ष्य में कहा है कि घटना दिनांक को वह मजदूरों के बाएं मुड़कर लुरागी गए थे, उसी समय अलीमुद्दीन के बेटे को साहिल सहित चार व्यक्ति मोटर साइकिल से लेकर रामचंद्रपुर तकिया की ओर जा रहे थे। लापता होने के 1-2 दिन बाद उन्हें अपनी हत्या की घटना के बारे में पता चला। जब उन्हें पक्षद्रोही घोषित किया गया, तो उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने मुमताज को बताया था कि उसने मृतक और अभियुक्तों को मोटर साइकिल में एक साथ जाते देखा था। उन्होंने आगे स्वीकार किया कि मुमताज ने उन्हें बताया था कि जिन लोगों के साथ मृतक जा रहा था, उन्होंने ही उसकी हत्या की है। प्रतिपरीक्षण में उन्होंने स्वीकार किया कि वह तीन साल से मोहम्मद मुमताज का ड्राइवर है। उन्होंने अपने साक्ष्य में आगे कहा कि घटना की तारीख को आरोपी साहिल मोटर साइकिल चला रहा था, अलीमुद्दीन का बेटा उसके पीछे बैठा था और मोटर साइकिल में दो और व्यक्ति बैठे थे, लेकिन वह उन्हें पहचान नहीं सका। प्रतिपरीक्षण में उन्होंने आगे कहा कि वह अलीमुद्दीन के परिवार के बारे में नहीं जानते थे। उन्होंने पुलिस को इस तथ्य के बारे में सूचित नहीं किया कि उन्होंने मृतक को आरोपियों के साथ देखा था। उन्होंने आगे कहा कि जिस समय उन्होंने मृतक को आरोपियों के साथ देखा था, उस समय रास्ते में कई लोग मिले थे, लेकिन वह उन्हें याद नहीं कर सका। उन्होंने आगे कहा कि घटना के 15-20 दिन बाद पुलिस ने उनका बयान दर्ज किया है। अ.सा./9 मुमताज अंसारी के बयान से ऐसा प्रतीत होता है कि उसने मृतक अलीमुद्दीन के पिता को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने की सलाह दी थी तथा बताया था कि उसने मृतक को अभियुक्त साहिल तथा अन्य दो व्यक्तियों के साथ देखा था, लेकिन गुमशुदगी रिपोर्ट (प्रदर्श पी/24) में अभियुक्त साहिल या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा यह उल्लेख नहीं किया गया है कि मृतक को साहिल तथा अन्य दो अभियुक्तों द्वारा मोटर साइकिल पर ले जाया जा रहा था तथा मृतक अलीमुद्दीन के पिता द्वारा केवल एक साधारण गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।

26. अ.सा./4 इब्रान जो उसी स्कूल का छात्र है जिसमें मृतक पढ़ता था, ने भी इस तथ्य का खुलासा नहीं किया है कि उसने मृतक को अभियुक्त साहिल बारी द्वारा मोटर साइकिल पर ले जाते हुए देखा था। मृतक का शव बरामद होने तक इन तीन गवाहों द्वारा कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई है कि उन्होंने मृतक को अभियुक्तों के साथ देखा था। यद्यपि इस बात के कुछ प्रमाण हो सकते हैं कि उन्होंने मृतक को वसीम के बेटे के साथ देखा है, लेकिन दो अन्य अभियुक्तों की पहचान स्थापित नहीं की गई है कि वे कौन हैं।

27. अभियोजन पक्ष द्वारा जिन अन्य परिस्थितियों पर भरोसा किया गया है, वे अभियुक्तों के कहने पर शव की बरामदगी और बरामदगी पंचनामा (प्रदर्श पी/7) हैं। बरामदगी पंचनामा के गवाह मोहम्मद शमीम (अ.सा./6), (अ.सा./5) रघु रे हैं। (अ.सा./5) रघु रे ने अपने साक्ष्य में कहा है कि वह अभियुक्तों को नहीं जानता था। वह कनकपुर रोड पर पुलिस से मिला और पुलिस ने उससे कनकपुर का रास्ता पूछा, वह पुलिस वालों के साथ गांव-कनकपुर गया था जहां जंगल में एक लड़के का शव मिला था। उसने पुलिस के कहने पर दस्तावेज (प्रदर्श पी/7) पर हस्ताक्षर किए हैं, लेकिन उसे इसकी विषय-वस्तु नहीं पता थी। प्रतिपरीक्षण में उसने कहा कि वह गांव-



2025 : CGHC : 7466-DB

15

कनकपुर का निवासी है। पुलिस ने कनकपुर रोड पर उससे मुलाकात की और रास्ता पता करने के लिए साथ चलने को कहा। पुलिस वालों के साथ उदय नामक व्यक्ति भी था और जब वे शव के पास पहुंचे तो उसके अलावा कोई और व्यक्ति वहां नहीं था। कुछ देर बाद जब वे शव के पास पहुंचे तो वहां 50-60 लोग जमा हो गए। इस गवाह के साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि जब शव बरामद किया गया तो आरोपी व्यक्ति पुलिस पार्टी के साथ नहीं थे, यहां तक कि उसने पुलिस वालों के साथ आरोपी मोहम्मद इसरार अहमद उर्फ राजा की मौजूदगी के बारे में भी नहीं बताया है।

28. अ.सा./6 मो0 शमीम ने अपने साक्ष्य में कहा है कि अभियुक्तगणों ने अपना मेमोरेंडम कथन देकर घटना के बारे में खुलासा किया है। पुलिस ने उसकी उपस्थिति में मोटर साइकिल, गमछा, मोबाईल एवं मार्कशीट जब्त की है। कनकपुर नहर के पास से शव बरामद किया गया तथा बरामदगी पंचनामा (प्र 0 सा 0/7) तैयार किया गया, जिसमें उसने हस्ताक्षर किये हैं। उसने स्वीकार किया कि पुलिस ने अभियुक्तगणों से एक साथ पूछताछ की है, पुलिस द्वारा व्यक्तिगत रूप से कोई पूछताछ नहीं की गई है। उसने आगे की प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया कि वह किस तारीख को थाने पहुंचा, उसे नहीं मालूम। घटना के समय बरसात का मौसम था। अ.सा./6 मो0 शमीम ने अपने साक्ष्य में यह नहीं कहा है कि शव बरामदगी के समय अ.सा./5 रघु राय भी उनके साथ मौजूद था। जबकि रघु राय ने शव बरामदगी के समय अ.सा./6 की उपस्थिति के बारे में खुलासा नहीं किया है। अ.सा./5 रघु राय ने भी अभियुक्तगणों के बारे में कुछ नहीं कहा है कि वे भी उस समय मौजूद थे जब मृतक का शव बरामद किया गया था। जिस स्थान से शव बरामद किया गया, वह कनकपुर नहर के पास खुला स्थान प्रतीत होता है तथा पुलिस द्वारा तैयार किए गए घटनास्थल मानचित्र (प्रदर्श पी/9) से पता चलता है कि वह गांव के रास्ते से 50 मीटर दूर था। गांव का रास्ता ही दर्शाता है कि गांव के लोग उस रास्ते से आते-जाते थे तथा ऐसी स्थिति में यह नहीं कहा जा सकता कि शव को छिपाया गया था या गांव के किसी अन्य व्यक्ति ने नहीं देखा था या केवल अभियुक्तगण ही उसे इंगित कर सकते हैं। जब अभियुक्तगणों के कहने पर शव बरामद किया गया तो यह आरोप लगाया गया कि अभियोजन पक्ष को किसी भी संदेह से परे यह साबित करना होगा कि अभियुक्तगण पुलिस को उस स्थान पर ले गए थे जहां शव मिला था तथा उन्हें इस बात की विशेष जानकारी थी कि शव वहां पड़ा हुआ है। वर्तमान मामले में, आरोपी शमशेर की निशानदेही पर शव की बरामदगी संदिग्ध है तथा साक्ष्य भी कमजोर तथा निर्णायक नहीं हैं।

29. चूंकि आरोपी व्यक्तियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 364 ए के अधीन अपराध के लिए इस आधार पर दोषमुक्त किया गया है कि अभिलेख पर ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है कि मृतक के पिता या किसी अन्य व्यक्ति को फिरौती के लिए कोई कॉल आया हो तथा चूंकि फिरौती के लिए अपहरण की बात अभियोजन पक्ष द्वारा सिद्ध नहीं की गई है, इसलिए इसे मृतक का अपहरण करने तथा उसकी हत्या करने का मकसद नहीं माना जा सकता, जिसके लिए आरोपी व्यक्तियों ने साजिश रची है। यदि आरोपी व्यक्तियों ने साजिश रची होती तथा मृतक का फिरौती के लिए अपहरण किया होता, तो वे तत्काल फोन करके मृतक को तब तक जीवित रखते, जब तक फिरौती के लिए कॉल नहीं की जाती अथवा उन्हें फिरौती नहीं दी जाती।



2025 : CGHC : 7466-DB

16

30. अंतिम बार देखे जाने का साक्ष्य बहुत ही कमजोर प्रकार का साक्ष्य है और केवल इस आधार पर, अभियुक्तों को दोषी ठहराना बहुत मुश्किल है, जब तक कि अभियुक्तों के अपराध की ओर इशारा करने वाली अन्य परिस्थितियों के साथ पुष्टि न हो जाए।

31. आर. श्रीनिवास बनाम कर्नाटक राज्य, 2023 लाइव लॉ (एससी) 751 के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि अंतिम बार देखे जाने के सिद्धांत को तभी लागू किया जा सकता है जब यह उचित संदेह से परे साबित हो। अपने फैसले के पैरा 15 से 17 में, यह माना जाता है कि:-

“15. इसलिए, अभियुक्त पर भार तभी शुरू होगा, जब अंतिम बार देखे जाने का सिद्धांत स्थापित हो जाएगा। वर्तमान मामले में, पुनरावृत्ति की कीमत पर, यह अपने आप में संदेह में है। यह इस न्यायालय के बाद के निर्णयों से पता चलता है, जिसका हम उल्लेख करेंगे (ए) कन्हैया लाल बनाम राजस्थान राज्य, (2014) 4 एससीसी 715, जहां यह नोट किया गया था:

12. अंतिम बार साथ देखे जाने की परिस्थिति अपने आप में यह निष्कर्ष नहीं निकालती कि यह आरोपी ही था जिसने अपराध किया। आरोपी और अपराध के बीच संबंध स्थापित करने के लिए कुछ और भी होना चाहिए। हमारी राय में अपीलकर्ता की ओर से स्पष्टीकरण न दिए जाने से अपीलकर्ता के विरुद्ध दोषसिद्धि का सबूत नहीं मिल सकता। (बल दिया गया) (बी) निजाम बनाम राजस्थान राज्य, (2016) 1 एससीसी 550, काशी राम (पूर्वोक्त) को ध्यान में रखते हुए पैराग्राफ 16-18 में प्रासंगिक चर्चा निहित है:

16. उपरोक्त के प्रकाश में, यह देखा जाना चाहिए कि क्या इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, निचली अदालतें "अंतिम बार देखे जाने के सिद्धांत" को लागू करने में सही थीं। ऊपर चर्चा किए गए साक्ष्य से, मृतक मनोज कथित तौर पर 23-1-2001 को ट्रक डीएल 1 जीए 5943 में चला गया था। मृतक मनोज का शव 26-1-2001 को बरामद किया गया था। अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया है कि आरोपियों को अंतिम बार मृतक के साथ देखा गया था, लेकिन आरोपियों ने मनोज के साथ क्या हुआ, इस बारे में कोई उचित, ठोस स्पष्टीकरण नहीं दिया है। ध्यान रहे कि केवल तभी जब अभियोजन पक्ष इस तथ्य को निश्चित साक्ष्य द्वारा साबित करने में सफल हो जाता है कि मृतक को अंतिम बार आरोपियों के साथ जीवित देखा गया था, आरोपियों के विरुद्ध एक उचित निष्कर्ष निकाला जा सकता है और उसके बाद ही साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के अधीन आरोपियों पर जिम्मेदारी डाली जा सकती है।

17. धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन पूछताछ के दौरान, अपीलकर्ता-आरोपी ने मनोज द्वारा उनके ट्रक संख्या डीएल 1 जीए 5943 में यात्रा करने से इनकार किया। जैसा कि पहले देखा गया था, मनोज का शव तीन दिनों के बाद 26-1-2001 को ही बरामद किया गया था।





मनोज के ट्रक संख्या डीएल 1 जीए 5943 में जाने और शव बरामद होने के बीच का समय इतना कम नहीं है कि अपीलकर्ताओं के विरुद्ध कोई निष्कर्ष निकाला जा सके। इस समय, साक्ष्य से उभरने वाले एक और पहलू पर ध्यान देने की जरूरत है। शहजाद खान (अ.सा. 4) द्वारा दिए गए बयान से पता चलता है कि मृतक का आंतरिक अंग (लिंग) रस्सी से बंधा हुआ था और उसके नथुनों से खून बह रहा था। मनिया गांव, जिस स्थान से मनोज का शव बरामद हुआ, कथित तौर पर वेश्यावृत्ति के लिए एक उल्लेखनीय स्थान है जहां विभिन्न क्षेत्रों से लोग आनंद लेने के लिए आते हैं।

18. मनोज को ट्रक में छोड़े जाने और शव की बरामदगी के बीच समय अंतराल और जिस स्थान और परिस्थितियों में शव बरामद किया गया था, उसे देखते हुए, इस बात के पुख्ता सबूतों के अभाव में कि अपीलकर्ता और मृतक को आखिरी बार एक साथ देखा गया था, अन्य लोगों के हस्तक्षेप की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है और जब समय अंतराल लंबा हो, तो यह निष्कर्ष निकालना खतरनाक होगा कि अपीलकर्ता मनोज की हत्या के लिए जिम्मेदार हैं और मनोज की हत्या करने के दोषी हैं। जहां समय अंतराल लंबा है, वहां "अंतिम बार देखे जाने के सिद्धांत" पर दोषसिद्धि को आधार बनाना असुरक्षित होगा, अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत अन्य परिस्थितियों और साक्ष्यों से पुष्टि की तलाश करना सुरक्षित है। तथ्यों और साक्ष्यों से, हमें अंतिम बार देखे जाने के सिद्धांत की पुष्टि करने वाला कोई अन्य पुष्ट करने वाला साक्ष्य नहीं मिला। (बल दिया गया)

16. निजाम (पूर्वोक्त) में दी गई चेतावनी महत्वपूर्ण है। 'अंतिम बार देखे जाने' के सिद्धांत को तभी लागू किया जा सकता है जब यह उचित संदेह से परे साबित हो। छोटकाऊ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (2023) 6 एससीसी 742 में 3 न्यायाधीशों की पीठ ने निम्न प्रकार से अपनी राय दी।

15. यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि अभियोजन पक्ष को साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए, उन्हें पहले यह स्थापित करना होगा कि "विशेष रूप से अपीलकर्ता के ज्ञान में कोई तथ्य था
(बल दिया गया)

17. वर्तमान मामले में, यह देखते हुए कि अंतिम बार देखे जाने का कोई निश्चित सबूत नहीं है और यह भी तथ्य है कि कथित अंतिम बार देखे जाने और शव की बरामदगी के बीच एक लंबा समय अंतराल है, और अन्य पुष्टि करने वाले साक्ष्यों के अभाव में, यह नहीं कहा जा सकता है कि परिस्थितियों की श्रृंखला इतनी पूर्ण है कि एकमात्र निष्कर्ष जो निकाला जा सकता है वह अपीलकर्ता का अपराध है। लक्ष्मण प्रसाद बनाम मध्य प्रदेश राज्य, (2023) 6 एससीसी 399



में, हमने शरद बिरधीचंद सारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य, (1984) 4 एससीसी 116 और शैलेंद्र राजदेव पासवान बनाम गुजरात राज्य, (2020) 14 एससीसी 750 पर विचार करने के बाद यह माना था कि... परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामले में, श्रृंखला सभी मामलों में पूरी होनी चाहिए ताकि आरोपी के अपराध को इंगित किया जा सके और अपराध के किसी अन्य सिद्धांत को भी बाहर रखा जा सके।' ऐसे साक्ष्यों के आधार पर अपीलकर्ता की दोषसिद्धि को बनाए रखना असुरक्षित होगा, जहां श्रृंखला स्पष्ट रूप से अपूर्ण है। इसके अलावा, निर्दोषता की धारणा अभियुक्त के पक्ष में है और जब संदेह उत्पन्न होता है, तो लाभ अभियुक्त को मिलता है, अभियोजन पक्ष को नहीं। सुरेश थिप्पा शेड्डी बनाम महाराष्ट्र राज्य, 2023 आईएनएससी 749 का संदर्भ दिया जा सकता है।

32. न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला रिपोर्ट (प्रदर्श पी/30) से अभियोजन पक्ष शमसेर से जब्त किए गए स्टोल के उसी फाइबर को नहीं जोड़ पाया और वही मृतक की गर्दन पर भी पाया गया और न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला रिपोर्ट में यह राय दी गई है कि मृतक की त्वचा से तैयार की गई स्लाइड (आर्टिकल-ए) में बाल और वारिस के टुकड़े मौजूद थे, लेकिन दो लेखों में स्टोल के फाइबर की कोई तुलना नहीं है।

33. अ.सा./1 अलीमुद्दीन जो मृतक का पिता है, ने अपने साक्ष्य में कहा है कि घटना के दिन जब उसका बेटा स्कूल से वापस नहीं आ सका, तो उसने उसकी खोज शुरू की और अगले दिन इब्रान खान ने उसे बताया कि उसने अपने बेटे को साहिल बारी के साथ जाते देखा था और जब उसने साहिल से पूछताछ की, तो उसने इससे इनकार कर दिया। 07/09/2018 को उसे पता चला कि आरोपी व्यक्तियों ने फिरौती की रकम के लिए उसके बेटे की हत्या कर दी है। साहिल उसका पड़ोसी है और जब उसके पिता किसी अपराध में जेल में थे, तब उसने उनकी मदद की थी। उसने झारखंड की अपनी संपत्ति 8 लाख रुपये में बेची थी, जिसकी जानकारी आरोपी साहिल बारी को थी। उसने बताया कि आरोपी साहिल भी उसके बेटे की तलाश में था। 05/09/2018 को उसने पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। प्रतिपरीक्षण में उसने स्वीकार किया कि आरोपी साहिल के साथ उसके अच्छे संबंध थे। उसने स्वेच्छा से कहा कि आरोपी साहिल भी उसके बेटे की तलाश में उसके साथ गया था और उसने पहली बार अदालत के सामने कहा कि उसने केवल यह दिखाया कि वह अपने बेटे की तलाश में है। उसने स्वीकार किया कि पुलिस को रिपोर्ट दर्ज कराते समय उसने किसी भी आरोपी या संदिग्ध व्यक्ति का नाम नहीं बताया है। जिस तारीख को उसका बेटा लापता हुआ, उस दिन उसे फिरौती या कोई टेलीफोन कॉल नहीं आया। 05/09/2018 को इब्रान खान ने उन्हें बताया कि उन्होंने अपने बेटे को साहिल के साथ देखा है। उन्होंने 05/09/2018 को दिन में 12-1 बजे रिपोर्ट दर्ज कराई है, लेकिन अपनी रिपोर्ट में किसी भी आरोपी का नाम नहीं लिखा है। मुजीब ने उन्हें अपने बेटे की हत्या के बारे में सूचित किया है।

34. अ.सा./2 रुबी जाकिया मृतक की मां है, उसने यह भी कहा है कि 04/09/2018 से उसका बेटा लापता था और 05/09/2018 को उसके पति ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। लगभग तीन दिन बाद



2025 : CGHC : 7466-DB

19

उसे पता चला कि उसके बेटे की हत्या की गयी है। प्रतिपरीक्षण में उसने कहा कि आरोपी साहिल बारी उसका पड़ोसी है। उसने आगे कहा कि जो भी पूछताछ की गई है वह उसके पति की ओर से की गई है। उसने यह भी कहा कि उसे या उसके परिवार के किसी सदस्य को फिरौती के लिए कोई कॉल नहीं की गई थी।

35. अ.सा./3 भूपेन्द्र यादव मृतक का सहपाठी है, उसने अपने साक्ष्य में बताया कि दिनांक 04/09/2018 को जब वह स्कूल से बाहर आया तो उसने देखा कि ईशान भी उसका पीछा कर रहा है। वे दोनों स्कूल परिसर से बाहर आये थे और जब वह स्कूल के गेट के पास पहुंचा तो किसी ने ईशान को उसकी मोटर साइकिल से उठा लिया और वे रामानुजगंज की ओर चले गये, इसके अलावा उसे कुछ भी पता नहीं था। पुलिस ने उससे घटना के बारे में पूछताछ की तो उसने भी बताया कि ईशान को कोई उसकी मोटर साइकिल से ले गया था। इस साक्षी ने अपने बयान से पलटकर नहीं कहा है और न ही किसी अभियुक्त के बारे में बताया है कि उसने अभियुक्तों को देखा है, जो मृतक ईशान को अपने साथ ले गये हैं। वह सबसे अच्छा साक्षी होता, क्योंकि वह मृतक के साथ उस समय था जब स्कूल की छुट्टी हुई थी और वे स्कूल से बाहर निकले थे, लेकिन उसने इसका समर्थन नहीं किया है।

36. अ.सा./8 उदय राम जो कि जांच गवाह है, अ.सा./10, उसका नाम अ.सा./6 के साक्ष्य में उल्लेखित है कि शव बरामदगी के समय उदय भी पुलिस वालों के साथ था, किन्तु उदय ने अ.सा./6 शमीम की उपस्थिति के बारे में कुछ नहीं बताया है।

37. अ.सा./10 मो. मुजीब भी मृतक की तलाश कर रहा था। उसने अपने साक्ष्य में बताया कि जब मृतक आस-पास के स्थानों पर नहीं मिला, तो उन्होंने 04/09/2018 को पुलिस को उसके लापता होने की सूचना दी। जब उन्होंने मृतक के दोस्तों से पूछताछ की, साथ ही मृतक के पिता अलीमुद्दीन से भी पूछताछ की, तब उन्हें पता चला कि मृतक मोटर साइकिल से रामानुजगंज की ओर गया था। तत्पश्चात, पुलिस वालों ने मृतक के दोस्तों से पूछताछ की, किन्तु उसका पता नहीं चल सका। अगले दिन नयन के बेटे ने बताया कि मृतक को वसीम का बेटा साहिल बारी किसी अन्य व्यक्ति के साथ ले जा रहा था और फिर पुलिस ने साहिल से पूछताछ की और उसने पूरी घटना का खुलासा किया। वह ज्ञापन और जब्ती का गवाह है, उसने यह भी कहा कि शव तीनों आरोपियों के कहने पर 07/09/2018 को अकेलवा नहर से बरामद किया गया था और उसने शव की पहचान की जो प्रदर्श पी/6 है।

38. मोहम्मद मुजीब (अ.सा./10) ने हालांकि कहा है कि शव आरोपियों के कहने पर बरामद किया गया था, वह बरामदगी पंचनामा (प्रदर्श पी/7) का गवाह नहीं है और अभियोजन पक्ष को सबसे अच्छी तरह से पता है कि (अ.सा./10) को बरामदगी पंचनामा का गवाह क्यों नहीं बनाया गया है और अन्य व्यक्तियों ने शव की बरामदगी का गवाह क्यों बनाया है। बरामदगी पंचनामा के गवाह रघु रे द्वारा उनकी उपस्थिति नहीं बताई गई है। उन्होंने अपनी प्रतिपरीक्षण में आगे बताया कि जब वे 04/09/2018 को शाम करीब 6-6.30 बजे मृतक की तलाश के लिए कनकपुर गए थे, तो उन्हें पता चला कि मृतक को मोटर साइकिल से ले जाया जा रहा है और उसके बाद उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। उन्होंने आगे बताया कि 07/09/2018 को पुलिस उन्हें आरोपियों के घर



2025 : CGHC : 7466-DB

20

ले गई और जब भी पुलिस ने उन्हें बुलाया तो वे थाने गए। उन्होंने आगे बताया कि जब आरोपियों को पुलिस उनके घर से ले जा रही थी, उससे पहले ही शव बरामद हो चुका था। 07/09/2018 को दिन में आरोपियों के घर से सामान जब्त कर लिया गया है और थाने में जब्ती ज्ञापन तैयार किया गया है और उन्होंने थाने में उन जब्ती ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। अपने साक्ष्य के पैरा 48 में उन्होंने कहा कि शव बरामद होने के समय वे मौके पर नहीं थे और शव बरामद होने के बाद ही वे वहां पहुंच सके। मोहम्मद शमीम ने उन्हें शव बरामद होने की सूचना दी और फिर वे मौके पर पहुंचे। जिस समय वे मौके पर पहुंचे, उस समय वहां केवल तीन व्यक्ति थे, जिनमें से एक मोहम्मद शमीम और दो अन्य ग्रामीण हैं और शेष पुलिस वाले हैं। उन्होंने आगे कहा कि शव बरामद होने के समय साहिल बारी के साथ वहां कौन था, उन्हें याद नहीं है। उन्होंने स्वीकार किया कि दिनांक 07/09/2018 को अभियुक्त साहिल बारी से कोई पूछताछ नहीं की गई, लेकिन दिनांक 06/09/2018 को साहिल बारी का ज्ञापन कथन उन्हें पढ़कर सुनाया गया। पुलिस द्वारा अभियुक्तों से पृथक से पूछताछ की गई है। इस साक्षी के साक्ष्य में कुछ महत्वपूर्ण चूक और विरोधाभास दिखाई देते हैं तथा अभिलेख पर उपलब्ध अन्य साक्ष्यों के दृष्टिकोण में उसे उत्कृष्ट गुणवत्ता का साक्षी नहीं माना जा सकता।

39. अ.सा./13, विमलेश सिंह जो गांव का पटवारी है, जिसने घटनास्थल का नक्शा तैयार किया (प्रदर्श पी/3)।

40. इन सभी साक्ष्यों से ऐसी कड़ियाँ छूट गई हैं जो इस बात को सिद्ध नहीं करती कि अभियुक्तों ने ही मृतक का अपहरण किया है और उसकी हत्या की है। अंतिम बार वाले गवाहों के साक्ष्य में भौतिक विसंगतियां हैं और केवल अंतिम बार वाले साक्ष्य के आधार पर अपीलकर्ताओं को दोषी नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि यह उस निर्णायक प्रकृति का नहीं है जिससे अपीलकर्ताओं पर यह स्पष्ट करने का भार डाला जा सके कि वे किस समय मृतक के साथ से चले गए थे।

41. यह विधि का स्थापित सिद्धांत है कि अभियोजन पक्ष को अपने मामले को उचित संदेह से परे साबित करने का भार है और जहां एक ही साक्ष्य के आधार पर दो दृष्टिकोण संभव हैं, वहां अभियुक्त के पक्ष में जो दृष्टिकोण है उसे ध्यान में रखा जाना चाहिए और अभियुक्त को संदेह का लाभ दिया जाना चाहिए। **दिगंबर वैष्णव और अन्य बनाम के मामले में छत्तीसगढ़ राज्य, (2019) 4 एससीसी 522** में निम्नानुसार माना गया है:

“19. यह भी स्थापित सिद्धांत है कि आपराधिक मामलों में, यदि मामले में प्रस्तुत साक्ष्य पर दो दृष्टिकोण संभव हैं, एक अभियुक्त के अपराध से जुड़ा है और दूसरा उसकी निर्दोषता से जुड़ा है, तो जो दृष्टिकोण अभियुक्त के अनुकूल है, उसे अपनाया जाना चाहिए। इस सिद्धांत की उन मामलों में विशेष प्रासंगिकता है, जिनमें अभियुक्त के अपराध को परिस्थितिजन्य साक्ष्य द्वारा स्थापित करने की कोशिश की जाती है [देखें काली राम बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य, (1973) 2 एससीसी 808]।



2025 : CGHC : 7466-DB

21

42. उपर्युक्त विचारों के दृष्टिकोण में, हमारा विचार है कि ऐसे कई घटक हैं जो परिस्थितिजन्य साक्ष्य की श्रृंखला से गायब हैं और इसलिए, अपीलकर्ता संदेह का लाभ पाने के हकदार हैं और इस प्रकार उन्हें संदेह का लाभ देकर, सभी दायित्विक अपीलों को स्वीकार किया जाता है और दंड को निरस्त किया जाता है।

43. सभी अपीलकर्ताओं को सभी कथित अपराधों से बरी किया जाता है। अपीलकर्ता मोहम्मद इसरार अहमद उर्फ राजा और मोहम्मद शमशेर खान 07/09/2018 से जेल में हैं और अपीलकर्ता मोहम्मद साहिल बारी 04/09/2018 से जेल में हैं और अगर किसी अन्य मामले में जरूरी न हो तो उन्हें तुरंत रिहा किया जाए।

44. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 481 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, अपीलकर्ताओं को 50,000 रुपये की राशि का निजी बांड प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाता है। 25,000/- प्रत्येक को समान राशि के एक जमानतदार के साथ संबंधित न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना होगा जो छह महीने की अवधि के लिए प्रभावी होगा, साथ ही एक वचनबद्धता होगी कि तत्काल निर्णय के विरुद्ध या अनुमति प्रदान करने के लिए विशेष अनुमति याचिका प्रस्तुत करने की स्थिति में, उपरोक्त अपीलकर्ता, इसकी सूचना प्राप्त होने पर, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष उपस्थित होंगे।

45. रजिस्ट्री को निर्देश दिया जाता है कि वह आवश्यक जानकारी और अनुपालन के लिए तत्काल संबंधित न्यायालय को इस आदेश की एक प्रति के साथ विचारण न्यायालय अभिलेख प्रेषित करे।

सही / - (रविंद्र कुमार अग्रवाल) न्यायाधीश	सही / - (रमेश सिन्हा) मुख्य न्यायाधिपति
---	---



1. In absence of any definitive evidence of 'last seen' and also the proximity of time gap between last seen and recovery of dead body, the 'last seen' theory cannot be invoked when there is no other corroborative evidence to shift the onus of the accused under Section 106 of the Indian Evidence Act, 1872.
2. Where there is two view possible, the view which is in favour of the accused, should be taken into consideration.

1. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 106 के अधीन 'अंतिम बार देखे जाने' के किसी भी निश्चित साक्ष्य के अभाव में तथा अंतिम बार देखे जाने और शव की बरामदगी के बीच समय अंतराल की निकटता के अभाव के कारण, तब तक 'अंतिम बार देखे जाने' के सिद्धांत का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, जब तक अभियुक्त के दायित्व को साबित करने के लिए कोई अन्य पुष्टिकारी साक्ष्य न हो।
2. जहां दो दृष्टिकोण संभव हैं, वहां अभियुक्त के पक्ष में जो दृष्टिकोण है, उसे महत्त्व दिया जाना चाहिए।

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।